

मध्य प्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग
मंत्रालय
//आदेश//

भोपाल, दिनांक 15 जून, 2021

क्रमांक एफ 5-1/2017/18-5-भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक का.आ 2277(अ), दिनांक 11 जून, 2021 मध्य प्रदेश राज्य के लिये राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (सिया) एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक) का गठन निम्नानुसार किया गया है:-

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (सिया)

- (1).. श्री अरुण कुमार भट्ट, भा.प्र.से. (से.नि.)
डी-11/20, चार इमली, भोपाल - अध्यक्ष
- (2) श्री अनिल कुमार शर्मा
ई-8/67, बसंत कुंज, शाहपुरा, भोपाल - सदस्य
- (3) कार्यपालन संचालक, एफको - सदस्य सचिव

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक)

- (1) श्री प्रवीणचंद्र दुबे, भा.व.से. (से.नि.)
आईडीए स्कीम 140, ए-1, 204,
आनंद वन, इंदौर, मध्य प्रदेश - अध्यक्ष
- (2) श्री राघवेंद्र श्रीवास्तव, भा.व.से. (से.नि.)
एसडीएक्स-116, न्यू मिनाल रेसीडेंसी,
भोपाल - सदस्य
- (3) प्रो० (डॉ०) रुबीना चौधरी,
फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग साइंस,
देवी अहिल्या वि०वि० तक्षशिला परिसर,
खडंवा रोड, इंदौर - सदस्य
- (4) डॉ० ए०के० शर्मा,
हाउस नं. 61, फेस-1, रिवेरा टाउन,
नियर माता मंदिर, भोपाल, - सदस्य
- (5) प्रो० अनिल प्रकाश,
माइक्रोबायोलॉजी विभाग, बरकतउल्लाह वि०वि०
एल व्ही 57, इंडस ग्रीन, फेस-1
ई-8 एक्सपेंशन, गुलमोहर, भोपाल - सदस्य
- (6) प्रो० (डॉ०) आलोक मित्तल
डिपार्टमेंट ऑफ केमेस्ट्री,
मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ
टेक्नालॉजी, (मैनिट) भोपाल - सदस्य
- (7) डॉ० जय प्रकाश शुक्ला,
96, कुंजन नगर, फेस-2,
होशंगाबाद रोड, भोपाल - सदस्य


15/6/21

(8) डॉ० रवि श्रीवास्तव,

- सदस्य

डी-4/1205,भारत सिटी,इंद्रप्रस्थ आवास

योजना नगर,टीलामोर पुलिस थाना,गाजियाबाद,उत्तरप्रदेश

(9) सदस्य सचिव,

म०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,भोपाल


-सदस्य-सचिव

2/ उक्त सिया एवं सेक का कार्यकाल अधिसूचना जारी होने की तिथि से तीन वर्ष तक अर्थात् दिनांक 11/06/2021 से दिनांक 10/06/2024 तक रहेगा ।

3/ उक्त राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (सिया) मध्यप्रदेश एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक) के कर्तव्य एवं दायित्व भारत सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1553(अ) दिनांक 14 सितम्बर,2006 एवं अधिसूचना क्रमांक का.आ. 49(अ), दिनांक 08 जनवरी,2008 में निहित प्रावधानों के अनुसार ही होंगे ।

4/ उक्त सिया एवं सेक के अध्यक्ष/सदस्यों को दिये जाने वाले मानदेय/भत्तों/सुविधाएं मध्यप्रदेश शासन,आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 5-4/2006/32,भोपाल, दिनांक 27/2/2008 एवं आदेश क्रमांक 1222/3106/2017/18-5,दिनांक 03 मई,2018 के अनुसार देय होंगे।

5/ भारत सरकार की अधिसूचना क्रमांक का. आ. 2277 (अ), दिनांक 11/06/2021 की कंडिका-5 एवं कंडिका-10 के अनुसार राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (सिया) मध्यप्रदेश एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक) की बैठकों एवं कार्य संपादन हेतु रिचर्स एंड डेव्हलपमेंट विंग,मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,ई-5,अरेरा कॉलोनी,पर्यावरण परिसर सचिवालय निर्धारित किया जाता है ।


(राकेश कुशरे) 15/6/21
उपसचिव

मध्यप्रदेश शासन

पर्यावरण विभाग

भोपाल,दिनांक 15 जून,2021

पृ.क्रमांक एफ 5-1/2017/18-5

प्रतिलिपि:

- 1/ संयुक्त सचिव,भारत सरकार,पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,नई दिल्ली की ओर अधिसूचना क्र० दिनांक 2277(अ),दिनांक 11/6/2021 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2/ प्रमुख सचिव,मा०मुख्यमंत्रीजी,मुख्यमंत्री कार्यालय,भोपाल ।
- 3/ विशेष सहायक,माननीय मंत्रीजी,पर्यावरण ।
- 4/ उपसचिव,मुख्य सचिव कार्यालय,मंत्रालय ।
- 5/ कार्यपालन संचालक,एफको। कृपया अपने स्तर से सर्वसंबंधित अध्यक्ष एवं सदस्यों को प्रसारित करने का कष्ट करें ।
- 6/ सदस्य सचिव,म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ।
- 7/ सर्वसंबंधित सिया एवं सेक के अध्यक्ष एवं सदस्यों की ओर पालनार्थ ।
- 8/ नियंत्रक,शा०केन्द्रीय मुद्रणालय,मैदा मिल रोड,भोपाल की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त आदेश को आगामी मध्यप्रदेश साधारण राजपत्र में प्रकाशित कर अधिसूचना की प्रति विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।


उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग